भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1527
दिनांक 12.12. 2023/ 21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

विधिविरुद्ध संगठन

†1527. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:
डॉ. राजदीप राय:
श्री धर्मेन्द्र कश्यप:
श्री पल्लब लोचन दास:
श्री सी.पी. जोशी:
डॉ. सत्यपाल सिंह:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अंतर्गत कितने संगठनों को विधिविरुद्ध घोषित किया गया है;

(ख) ऐसे विधिविरुद्ध संगठनों के नाम क्या है;और

(ग) राजस्थान में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अंतर्गत अवैध घोषित किए गए संगठनों के नाम और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार किसी भी संगठन को विधिविरुद्ध संगम घोषित कर सकती है, जो राजस्थान सहित संपूर्ण देश पर लागू होता है। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में विधिविरुद्ध संगठन के रूप में घोषित संगठनों की सूची संलग्नक में दी गई है।

******

सभा अता. प्र. सं. 1527 दिनांक 12.12.2023

अनुलग्नक

क्र.सं.	विधिविरुध संगम का नाम
1.	स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)
2.	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
3.	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)
4.	मैतेई चरमपंथी संगठन, नामतः- (i) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) (ii) युनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा, मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए) (iii) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पीआरईपीएके) और इसकी सशस्त्र शाखा, 'रेड आर्मी'। (iv) कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और उसकी सशस्त्र शाखा, जिसे 'रेड आर्मी' भी कहा जाता है (v) कांग्ली याओल कान्बा लुप (केवाईकेएल) (vi) कोऑर्डिनेशन कमेटी (कोर-कॉम) और (vii) अलाएंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांग्लीपाक (एएसयूके)
5.	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)
6.	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी)
7.	हयनीट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)
8.	लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई)
9.	नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन/के]
10.	इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ)
11.	जमात-ए-इस्लामी (जेईआई), जम्मू और कश्मीर
12.	जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट)
13.	सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे)
14.	पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्था या अग्रणी संगठन जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वीमंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।
15.	जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी)

*****